

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर या
अहकाम
हुक्म की
में जा

15⁰³/₁₈

पत्रवाली पेश की। पत्रवाली रूप
असाधारण/... की
दौर पर/... की
पत्रवाली... की
दिनांक-25/04/18 को पेश हो

25⁰⁴/₁₈

पत्रवाली पेश की। पत्रवाली रूप
असाधारण/... की
दौर पर/... की
पत्रवाली... की
दिनांक-09/05/18 को पेश हो


09⁰⁵/₁₈

मरावली आज राजस्व लोन अदालत
अभियान्त : न्याय आपकी द्वारा-2018 के तहत
कैम्प स्थल अटल सेवा केंद्र वालडी में
पेश हुई। वकील बाकी उपस्थित। उल्लेख में
बहल वकील भी बुली गई। दोपते बहल वकील
बाकीगण ने वादफत में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुए मुताबिक अनुलोष दावा डिक्ली
फरमाया जाने का निर्बंदन किया जिस पर
ऑफिशरील परकार तहलीलफार छठेला न
कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।



मरावली पर उपलब्ध राजस्व रैकोर्ड
का अक्लीकल किया गया चूंकि प्रतिवादीगण को
जवाबदेही के कई अवसर उदान कले के
उपदान श्री प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब
उत्तर नहीं किया गया जिससे प्रतिवादीगण
की बाकी के दावे के प्रति श्रौत स्वीकृति
उकट होती है।

उक्त तथ्यों के आधार पर बाकी
का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया

| हुकम | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|------|--|--|
| | <p>जाते पर स्वीकार किया जाता है तथा चौखण्ड दल आशय की जारी की जाती है।:-</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>तन ग्राम सीलकीबाड, तहसील खण्डेला में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 51 काका 0.24 हे. का बादी को अतिरिक्त काशतला चौखित किया जाकर उत्पत्तिगत । ता 6 का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार उजख रैजिस्ट्रार में उम्तल दस्तावेज है। तदनुसार फर्मा डिक्री जारी है। पत्रावली केसल इमार होकर नम्बर से कम है तथा बाद तन्माल दाखिल दफ्तर है। निर्णय मजमें आम सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  9/5/18 भागीरथ शास्त्र (R.S.) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला </p> | |

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अदालत ... सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम ... खण्डेला

पीठारीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शास्त्र, RAS

कृतचन्द्र * बनाम ① मेमा पुत्र राजा *

वाक्यत चौखण व स्वामी विवेकाता

नम्बर :- 483/13

दिनांक :- 09/05/18

कदमा आज वारते इन्फिराल कतई रुबरु श्री भागीरथ शास्त्र, RAS व हाजिरी

मिनजानिब मुददई रुबरु श्री राजेंद्र कुमार मीणा
मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम सीलकीबाड, तहसील खण्डेला में अवस्थित कृषि भूमि ख. 51 (ख. 0.24 है) का वारी को खतेदार काशतकार घोषित किया जाकर उतिबाड़ीगठ सं. 1 हा 6 का नाम रजक किया जाता। उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में समल दरमद है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।
ज दिनांक 09/05/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



भागीरथ शास्त्र
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

| वादी | प्रतिवादी |
|---|---|
| पत्र के लिए स्टाम्प पत्र के लिए स्टाम्प के लिए स्टाम्प रुपये पर प्लीडर की के लिए निर्वाह-व्यय की फीस की तामील | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस |
| जोड़ | जोड़ |

* पुत्र गीलू जाति जोगी निवासी तन ग्राम घाजगा
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

—वादी

बनाम

* ② गणपत उर्फ नाटाथठा पुत्र भजा

③ फुली बेवा भूप

④ मयूर ⑤ मंगलचन्द ⑥ कैबीसिंह पुत्रगण

भूषणम जाति कीर निवासी तन ग्राम सीलकीबड़ा
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

⑦ उप पंजियल खण्डेला 1

⑧ पटवारी हल्ला बालडी तह. खण्डेला 1

⑨ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला 1

— प्रतिवादीगण



जागीरशाखा शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला